गंगानगर।

ऑन लाईन नं. GCMS 2024/190

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 54/2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह —(विक्रेता एवं मालिक)—
निवासी वार्ड नं.16 लक्कड़ मंडी, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर
मै. बालाजी मिष्ठान भंडार, वार्ड नं. 16 लक्कड़ मंडी, श्रीकरणपुर,श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय **दिनांक: 07.03.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुख्खा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन नमूना संग्रहण के दिवस कंमांक संख्या एफ 5(1) चिस्वा/ ग्रुप–3/2024/10018 दिनांक 15.12.2023 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान में क्रमांक प.5 (01)चिस्वा/ग्रुप 3/ई–5095/2024/ दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी को नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुओनि/संस्था/2023/10077 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.204 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रमाक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2024/1225 दिनाक 09.07.2024 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.03.2024 को समय 11:30 ए.एग बजे मैसर्स – बालाजी मिष्ठान भण्डार, वार्ड नं.10 (नया 22), लक्कड मन्डी श्रीकरनपुर, श्रीगंगानगर, पर पहुँचे मोके पर विकेता **श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह (विक्रेता एंव मालिक)** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर रखे फिज में **मिल्क केक** के बारे में जानकारी चाही इस पर स्वंय को (विक्रेता एंव मालिक) बतायां व संस्थान में फीज के अन्दर रखे लगभग 4 किलो **मिल्क केक** को आमजन मे बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विकेता से मिल्क केक नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुए व्यक्त की। मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहन के व आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया गया और आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध मिल्क केक में से 2 किलो ग्राम विकेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा मिल्क केक का नगद भगवान 700 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

को कहा जिसे **श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री नंबर सिंह (विक्रेता एंव मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह (विक्रेता एंव मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म स 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिल्क केक को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर 4 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद कर चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी. ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2193** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2193** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह (विक्रेता एंव मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./253/Act/2024/253 Dated 28-03-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2193 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह (विक्रेता एवं मालिक) निवासी वार्ड नं.16 लक्कड़ मंडी, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर, मै. बालाजी मिष्ठान भंडार, वार्ड नं. 16 लक्कड़ मंडी, श्रीकरणपुर,श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का मिल्क केक विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.11.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी बजरंग सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह मैसर्स बालाजी मिष्ठान भण्डार, वार्ड नं. 16, 22 नया, लक्कड़ मण्डी, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। दिनांक 14.03.2024 को प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी आये और प्रार्थी की दुकान में विक्रय हेतु रखे चार किलो मिल्क केक में से दो किलो मिल्क केक जांच हेतु लिया गया व उक्त सैम्पल को जांच के लिये लैबोरेट्री में भेजा गया जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी को दिनांक 24.05.2024 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट को देखने पर पता चला कि नमूना की जांच दिनांक 28.03.2024 को हो चुकी थी लेकिन प्रार्थी को उक्त नमूना रिपोर्ट लगभग दो माह बाद दिनांक 24.05.2024 को प्राप्त हुई जिससे प्रार्थी का नमूने को दोबारा रेफरल लैब से जांच करवाने का अधिकार का हनन हुआ क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नमूना रिपोर्ट को सम्बन्धित अधिकारी के द्वारा शीघ्रताशीघ्र व्यक्ति जिससे नमूना लिया गया है, को प्रेषित करनी होती है ताकि उक्त व्यक्ति अपने नमूना को पुनः जांच के अधिकार का सदुपयोग कर सके क्योंकि प्रार्थी से लिया गया नमूना एक मिल्क केक बर्फी है जो कि 10–12 दिनों के अन्दर खराब हो जाती है। प्रार्थी काफी समय से कारोबार कर रहा है लेकिन आज तक प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है। प्रार्थी हर प्रकार की मिठाई स्वयं अपने हाथों से तैयार करता है तथा शुद्धता का पूर्णतः ध्यान रखता है। इसलिये नमूना रिपोर्ट में भी प्रार्थी की तैयार की हुई मिठाई मिल्क केक में दूध, चीनी, पिस्ता के अलावा अन्य किसी भी चीज का मिश्रण नहीं पाया गया जिससे उक्त तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रार्थी का मिल्क केक पूर्णतः शुद्ध था व किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई। इसलिये उक्त मिल्क केक सब स्टेण्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता। अन्य तथ्य वरवक्त अर्ज किये जावेंगे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का मिल्क केक किसी भी प्रकार से सब स्टेण्डर्ड श्रेणी का नहीं है व अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्रार्थी को नमूना रिपोर्ट दो माह देरी से भेजने के कारण प्रार्थी द्वारा जांच का अधिकार का हनन हुआ है, इसलिये सम्बन्धित अधिकारीगण की उपेक्षा के चलते उक्त परिवाद पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिल्क केक** का सैम्पल **K-2193** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./253/Act/2024/253 Dated 28-03-2024 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी हर प्रकार की मिठाई स्वयं अपने हाथों से तैयार करता है तथा शुद्धता का पूर्णतः ध्यान रखता है। इसलिये नमूना रिपोर्ट में भी प्रार्थी की तैयार की हुई मिठाई मिल्क केक में दूध, चीनी, पिस्ता के अलावा अन्य किसी भी चीज का मिश्रण नहीं पाया गया जिससे उक्त तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रार्थी का मिल्क केक पूर्णतः शुद्ध था व किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई। इसलिये उक्त मिल्क केक सब स्टेण्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता। अन्य तथ्य वरवक्त अर्ज किये जावेंगे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का मिल्क केक किसी भी प्रकार से सब स्टेण्डर्ड श्रेणी का नहीं है व अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्रार्थी को नमूना रिपोर्ट दो माह देरी से भेजने के कारण प्रार्थी द्वारा जांच का अधिकार का हनन हुआ है, इसलिये सम्बन्धित अधिकारीगण की उपेक्षा के चलते उक्त परिवाद पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Milk Cake(Made by Milk, Sugar & Pista)"** bearing Code No and Sr. No. K-2193 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as** prescribed in of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample is also Food containing extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food Safety and standards Act-2006 due to presence of added Starch की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह (विक्रेता एवं मालिक) निवासी वार्ड नं.16 लक्कड़ मंडी, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर, मै. बालाजी मिष्ठान भंडार, वार्ड नं. 16 लक्कड़ मंडी, श्रीकरणपुर,श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 30,000—00 (अखरे रूपये तीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खा़द्य पदार्थ में डालने़ के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)